

## समाहरणालय, मुंगेर।

(जिला पंचायत राज कार्यालय)

### आदेश

अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के पत्रांक:- 23(स्वी0) / पं0रा0, दिनांक:- 31.08.2021 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मांग संख्या:-16, विपत्र कोड :- 16-2015001090002 मुख्य शीर्ष - 2015- निर्वाचन- उप मुख्य शीर्ष -00 लघु शीर्ष - 109 - पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार - उप शीर्ष- 0002- जिला परिषदों / पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव" के विषय शीर्ष- 0002.13.01 कार्यालय व्यय" ईकाई स्वीकृत्यादेश प्राप्त है।

अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के पत्रांक :- 36(आ0) / पं0रा0, दिनांक:- 31.08.2021 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-2022 में मांग संख्या :- 16, विपत्र कोड :- 16-2015001090002 मुख्य शीर्ष -2015 - निर्वाचन- उप मुख्य शीर्ष - 00 लघु शीर्ष - 109 - पंचायतों / स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार -उप शीर्ष- 0002- जिला परिषदों / पंचायत समितियों / ग्राम पंचायतों का चुनाव " के विषय शीर्ष - 0002.13.01 कार्यालय व्यय" ईकाई निम्नरूप से आवंटन प्राप्त कराया गया है।

(1) 13-01 कार्यालय व्यय ईकाई में इस जिला को तत्काल अनुमानित 1387 मतदान केन्द्रों की संख्या के आधार पर प्रति मतदान केन्द्र ₹ 11,000.00(ग्यारह हजार) मात्र की दर से कुल- ₹ 1,52,57,000.00 (एक करोड़ बासन् लाख सन्तावन हजार) का आवंटन प्राप्त हुआ है। जिसमें से सुरक्षित राशि मो0 79,57,000.00 उनासी लाख सन्तावन हजार रूपये मात्र में से अधोलिखित क्रमांक 02 में अंकित पदाधिकारी को उनके नाम के सामने कॉलम 03 में अंकित राशि CFMS के माध्यम से उपावंटित किया जाता है :-

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	0002.13.01 कार्यालय व्यय ईकाई में
1	2	3
1	जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) -सह-जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पास सुरक्षित	68,57,000.00
2	जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर	11,00,000.00

(i). उपावंटित राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में विभागीय पत्रांक-345 दिनांक-25.03.2021 एवं 548 दिनांक-09.08.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में किया गया, उपावंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जांच पड़ताल के बाद ही किया जाय, यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(ii). उपावंटित राशि की निकासी कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक ईकाई आदि का स्पष्ट मुहर, ईकाईयों का कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

(iii). उपावंटित राशि की निकासी वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

(iv). उपावंटित राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जाय, अन्यथा किये गये भुगतान की सारी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(v). उपावंटित राशि का उपयोग होने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार पटना को भेजते हुए उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को अवलिंब उपलब्ध करा दिया जाय, राशि की निकासी से संबंधित टी0भी0 नं0- तिथि एवं कोषागार के नाम सहित विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(vi). उपावंटित राशि की निकासी करते समय नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(vii). संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा की सामग्रीयों का क्रय वित्तीय नियमावली के अनुरूप करेंगे एवं क्रय की गई सामग्रीयों के संरक्षण हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि भविष्य में इनका उपयोग पंचायत चुनावों के लिए किया जा सके।

सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि राशि की निकासी दिनांक-25.03.2022 तक निश्चित रूप से निकासी करते हुए अधोहस्ताक्षरी को दिनांक-25.03.2022 के अपराह्न 4 बजे तक प्रत्यार्पण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

80/-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

-सह-

जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक.1993. / पं०, दिनांक.20.09.2021

- प्रतिलिपि :- जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
अनुरोध है कि इन उपावंटन आदेश को मुंगेर के वेबसाइट पर अपलोड किया जाय।
- प्रतिलिपि :- जिला स्थापना उपसमाहर्ता, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- श्री जगनारायण राय, मेकर, (सी0एफ0एम0एस0) जिला स्थापना शाखा मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-06/36(आ0)/ पं0रा0, दिनांक-31.08.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

-सह-

जिला पदाधिकारी, मुंगेर।